न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 09/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/09

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–502,टावर–ए, पेनिन्सूला बिजनेस पार्क, सेनापाली बापत मार्ग, लोअर पारेल मुम्बई 400013 शाखा कार्यालय 31–1,लाईट ईण्डस्ट्रीयल एरिया, न्यू पावर हाउस के सामने के सामने एस.बी.आई. के पास ईण्डसंट्रीयल एस्टेट जोधपुर 342003

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री महेश कुमार निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (ऋणी)
2. श्री हर्षित जैन निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी)
3. श्री विनोद कुमार जैन निवासी रावल पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी)
4. श्रीमती सुनीता एस. निवासी रावल पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 02–08–2023

प्राधिकृत अधिकारी केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री महेश कुमार निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (ऋणी) 2– श्री हर्षित जैन निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी) 3– श्री विनोद कुमार जैन निवासी रावल पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी) 4– श्रीमती सुनीता एस. निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी) ने वित्तीय संस्था से दिनांक 29–03–2021 को राशि रुपया 33,11,618 (अक्षरे तैतीस लाख ग्यारह हजार छ सौ अठ्ठारह रुपये मात्र) का ऋण प्राप्त किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **05–04–2022 को अक्रियान्वित** आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक **16–05–2022** को कुल बकाया राशि **3464339 रू. (चौतिस लाख चौसठ हजार तीन सौ उन्चालीस रुपये मात्र)** एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति संख्या 1 प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण **सम्पत्ति सं.1 मकान वाके खसरा नंबर 3345/810, गांव समागडा, ग्राम पंचायत आसोडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) 327022** पर स्थित मकान जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग **97.77 वर्ग गज** है, जिसके **पूर्व में मणीलाल जी का प्लॉट, पश्चिम में मोगजी का मकान, उत्तर में डामर रोड, दक्षिण में शंकरजी का मकान है।** अचल सम्पत्ति संख्या 2 जिसका विवरण **सम्पत्ति सं.2 मकान वाके खसरा नंबर 7258, गांव पालोदा, ग्राम पंचायत आसोडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) 327022** पर स्थित मकान जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग **97.77 वर्ग गज** है, जिसके **पूर्व में पाटीदार जी का प्लॉट, पश्चिम में गढी पालोदा डामर रोड, उत्तर में टेलर जी का मकान, दक्षिण में आबादी भूमि है।** को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2016 के अनुसार प्रार्थी **केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड** को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय संस्था घोषित की है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 20-05-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नोटिस बाद चस्पा होकर तहसीलदार गढी की बाद तामील रिपोर्ट के साथ दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे है। दिनांक 19.07.2023 को भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, न्यायहित में अवसर दिया जाकर सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 02.08.2023 नियत की गई।

आज दिनांक 02.08.2023 को भी अप्रार्थीगण सं 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थीगणो को बार बार रुक रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **29-03-2021** को **राशि रुपया 33,11,618 (अक्षरे तैतीस लाख ग्यारह हजार छ सौ अठ्ठारह रुपये मात्र)** का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **05-04-2022 को अक्रियान्वित आस्ति** में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण [से] दिनांक **16-05-2022** को कुल बकाया राशि **3464339 रू. (चौतिस लाख चौसठ हजार तीन सौ उनचालीस रुपये मात्र)** एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

एक्ट 2002 के तहत दिनांक 20–05–2022 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक **29–03–2021** को **राशि रुपया 33,11,618 (अक्षरे तैतीस लाख ग्यारह हजार छ सौ अठ्ठारह रुपये मात्र)** का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **05–04–2022 को अक्रियान्वित आस्ति** में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक **20–05–2022** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणो को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये गये है।

अतः सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा। तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 02–08–2023 को खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:46 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)